

न्यायालय:-मो० शकील खान,मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भिण्ड

क्लेम प्रकरण क्र०-18/2017

संस्थित दिनांक-31.01.2017

आदेश दिनांक-10.02.2018

1. रामप्रकाश पुत्र रामनाथ शर्मा
उम्र 50 साल पेशा शासकीय
सर्विस पी०एच०ई०
2. रामशंकर पुत्र रामनाथ शर्मा
उम्र 58 साल पेशा काश्तकारी
3. रामकुमार शर्मा उम्र 38 साल
4. राजेश शर्मा उम्र 33 साल
पुत्रगण स्व० रामाज्ञा शर्मा
5. गिरजेश उर्फ जीतू शर्मा उम्र
25 साल
6. किशन उर्फ सोनू उम्र 18
साल पुत्रगण रामप्रकाश शर्मा
निवासीगण ग्राम गोरई
तहसील रौन जिला भिण्ड
म०प्र० ---आवेदकगण
विरुद्ध
1. मुकेश सिंह पुत्र बाबूसिंह
गुर्जर निवासी करोली माता
मंदिर वार्ड नं०-29 गली
नं०-2 महलगांव थाना
विश्वविद्यालय ग्वालियर म०प्र०
2. तनमय पुत्र सुनील गुप्ता
निवासी लक्ष्मीबाई कॉलोनी
ग्वालियर म०प्र०
3. प्रबंधक न्यू इंडिया इश्योरेंस
कंपनी लिमिटेड शाखा
कार्यालय एफ4 सिटी
स्कावर एनआरजीडीए ऑफिस
रवि नगर किला गेट रोड
ग्वालियर म०प्र०

---अनावेदकगण

10.02.2018

यह क्षति प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखा गया।

आवेदकगण सहित श्री दिनेश जैन एड०

अनावेदक क्र०-1 व 2 अनिर्वाहित

अनावेदक क्र०-3 द्वारा श्री आर०के०बाजपेई एड०

आवेदकगण एवं अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी ने राजीनामा पेश किया, जिसके अनुसार अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी आवेदक को 1,00,000/-रूपये क्षतिपूर्ति अदा करेगी।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अनावेदक क्र०-3 आवेदक को 60 दिवस के अंदर 1,00,000/- रूपये क्षतिपूर्ति अदा करेगी, यदि 60 दिवस के अंदर अदा नहीं करती है तो अनावेदक क्र०-3 आज दिनांक से तत्तदायगी तक उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करे।

प्रतिकर की राशि जमा होने पर आवेदकगण को 1/6-1/6 राशि नगद प्रदान की जावे।

उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

तदनुसार अवार्ड बनाया जावे।

आदेश की प्रति बीमा कंपनी को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

अध्यक्ष

(मो० शकील खॉन)

खण्डपीठ क्र०-7 /

पंचम मो०दु०दावा अधिकरणभिण्ड

सदस्य

सदस्य

श्री अवधेश कुमार शर्मा
अधिवक्ता, भिण्ड

श्री रामनिवास राठौर
अधिवक्ता, भिण्ड